29
27

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. पूर्व भुगतान भोपाल/06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल 2007—चैत्र 13, शक 1929

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-05-06-2006-तेरह.—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 के नियम 46 के उपनियम (2) के साथ पठित नियम 7 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेश तथा अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि विद्युत निरीक्षक या उनके सहायकों द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का सं. 9) के अधीन किये जाने वाले परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये तथा सामान्यत: उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिये फीस निम्नलिखित दर मान के अनुसार उद्ग्रहीत की जाएगी।

2. ये दरें दिनांक 3 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त होगी—

२८

भाग—1: विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण

संस्थापना का वर्ग	क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिये फीस (रु0 में)	निरीक्षण की आवृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
क— विद्युत प्रदायकर्ताओं, उपभोक्ताओ तथा विद्युत उत्पादनकर्ताओ की संस्थापनाएं.	(एक) उपभोक्ताओं की मध्यम दाब संस्थापनाएं —		उपभोक्ताओं की कृषि पम्प संस्थापनाओं के लिये 5 वर्ष में एक बार तथा अन्य के लिये वर्ष में एक बार.
	1. कृषि पम्प.	10	
	2. अन्य संस्थापनाएं. 10 अश्व शक्ति तक...	50	
	3. 10 अश्व शक्ति से अधिक और 50 अश्व शक्ति तक...	100	
	4. 50 अश्व शक्ति से अधिक...	200	
	(दो) उच्च तथा अति उच्च दाब संस्थापनाएं — (बूस्टर तथा केपेसिटर बैक सहित) तथा पावर स्टेशन्स / जनरेटिंग सेट्स :—		वर्ष में एक बार.
	1. 25 किलो वाट तक	150	
	2. 25 किलो वाट से अधिक और 100 किलो वाट तक...	500	
	3. 100 किलोवाट से अधिक और 500 किलोवाट तक...	800	
	4. 500 किलोवाट से अधिक और 1000 किलोवाट तक...	2000	
	5. 1000 किलोवाट से अधिक और 5000 किलोवाट तक...	3000	
	6. 5000 किलोवाट से अधिक और 10000 किलोवाट तक...	6000	
	7. 10000 किलोवाट से अधिक.	8000	
(ख) नई उच्च या अति उच्च दाब ओवर हेड लाईन.	प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये.	200	
(ग) नियम 71 से 73 के अधीन आने वाली उच्च दाब संस्थापनाएं.	एक्स रे, निओन साइन आदि...	500	वर्ष में एक बार
(घ) सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान	1. चलता फिरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थाई स्थान से भिन्न सिनेमा या थियेटर...	800	वर्ष में एक बार
	2. चलता फ़िरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थाई स्थान से भिन्न	400	वर्ष में दो बार
(ड.) मद "ख" की लाईनों से भिन्न अन्य ओवर हेड लाईनें तथा ...	प्रत्येक स्पान के लिये...	20	

(1)	(2)	(3)	(4)
(च) नियम 87 के अधीन लाईनो का कासिंग.	प्रत्येक कासिंग के लिये..	100	
(छ) नये उच्च दाब/अति उच्च दाब केबल्स ओवरहेड लाईनों को छोड़कर	1. प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिये ...	200	
	2. प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिये.	50	
(ज) बहुमंजिला भवन.	प्रत्येक बहुमंजिला भवन के लिये..	1000	वर्ष में एक बार.
(झ) लिफ्ट संस्थापना.	प्रत्येक लिफ्ट संस्थापना के लिये	1000	वर्ष में एक बार

टिप्पण :

1. निरीक्षण फीस के प्रयोजन के लिये —

(क) ऐसे जनरेटर तथा ट्रांसफार्मरों को जो कि एक ही घिराव में या एक दूसरे के पार्श्व में संस्थापित हों और जो सामान्यतः सामानान्तर (पैरेलल) चलते हों, एक ही संस्थापना माना जायेगा और निरीक्षण फीस उनकी कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी । किंतु ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर जो सामान्यतः समानान्तर (पैरेलल) नहीं चलते हैं या जो एक दूसरे के पार्श्व या एक ही घिराव में संस्थापित नहीं हैं उन्हें अलग अलग संस्थापना माना जायेगा ।

(ख) जनरेटर और ट्रांसफार्मर से भिन्न वे उपस्कर जिनको विद्युत प्रदाय एक ही बस से तथा एक ही वोल्टता पर प्राप्त होता है और जो एक ही घिराव में या एक दूसरे के पार्श्व में संस्थापित हैं उनको एक ही संस्थापना माना जायेगा और निरीक्षण फीस उनकी कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी किंतु वे उपस्कर जो भिन्न भिन्न बसों से या भिन्न भिन्न वोल्टता पर विद्युत प्राप्त करते हों या जो एक दूसरे के पार्श्व में या एक ही घिराव में संस्थापित नहीं है उन्हें अलग अलग संस्थापना माना जायेगा ।

(ग) जहां कहीं भी मशीनरी या उपस्कर का इस प्रकार क्षमता निर्धारण किया गया हो, वहां किलोवाट के स्थान पर "किलोवोल्ट्स एम्पीयर्स" या बी.एच.पी. या के.वी.ए.आर. पढ़ा जायेगा ।

(घ) शासन के वाटर वर्क्स, सीवेज़ पम्पिंग स्टेशन को निरीक्षण शुल्क से छूट प्रदान की जाती है ।

2. फीस का भुगतान —

(क) फ़ीस का भुगतान स्वामी या उसके अभिकर्ता व्दारा शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा —

सिनेमा को छोड़कर संस्थापनाओं के लिये राजस्व शीर्ष .	0043—विद्युत पर कर तथा शुल्क 102—भारतीय विद्युत नियमों के अधीन फीस.
और सिनेमा के लिये राजस्व शीर्ष.	0043—विद्युत पर कर तथा शुल्क 103—सिनेमाओं के बिजली संबंधी निरीक्षण की फीस

और कोषालय का चालान मध्य प्रदेश शासन के विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा।

(ख) फीस का भुगतान नीचे दर्शाई गई तारीखों के पूर्व किया जायेगा —

(1) ऊपर प्रवर्ग घ–2 के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के सिवाय अन्य विद्यमान संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक मई, के पूर्व किया जायेगा । प्रदायकर्ता की संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान निरीक्षण के उपरांत जारी बिल के प्राप्त होने से एक माह के भीतर किया जायेगा।

(2) ऊपर घ–2 के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के लिये संबंधित अर्धवार्षिक फीस का भुगतान एक मई तथा एक नवम्बर के पूर्व किया जायेगा । यदि उपर्युक्त तारीखों पर संस्थापना के उपयोग में न लाई जा रही हो तो प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के लिये फीस का भुगतान संस्थापना का उपयोग करने के पूर्व किया जायेगा ।

(3) ऐसी नई एच.टी.संस्थापनाएं या नए सिनेमा के लिये, जिसमें उनके परिवर्तन या परिवर्धन भी सम्मिलित हैं, फीस का भुगतान अग्रिम में किया जायेगा और कोषालय चालान विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा जिसके साथ ऐसी संस्थापना के निरीक्षण तथा / या अनुमोदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न होगा । प्रदायकर्ता की नवीन संस्थापनाओं के लिये निरीक्षण शुल्क का भुगतान टिप्पण 2 (ख) (1) के अनुसार किया जायेगा । ऐसी संस्थापनाओं के लिये फीस ऊपर दर्शाई गई दर से 50 प्रतिशत अधिक होगी ।

(4) अन्य नई संस्थापनाओं जिनमें उनका परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित है और मौसमी कारखानों के लिये फीस का भुगतान संस्थापनाओं को उपयोग में लाये जाने के पूर्व किया जायेगा ।

(5) नीचे दिये गये टिप्पण 7 के अधीन अतिरिक्त निरीक्षण के लिये देय फीस का भुगतान प्रत्येक मामले में विद्युत निरीक्षक व्दारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व किया जायेगा।

(6) प्रवर्ग ङ के अधीन फीस का उदग्रहण केवल ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती निरीक्षण के लिये किया जायेगा जो विद्युत अधिनियम 2003 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के भंग होने के कारण आवश्यक हो गया हो, एक ही पोल से ली जाने वाली प्रत्येक सर्विस लाईन की फीस अलग अलग देय होगी।

(7) प्रवर्ग च के अधीन फीस उस व्यक्ति व्दारा अग्रिम में देय होगी जिसने कि निरीक्षण के लिये प्रार्थना की हो ।

(ग) यदि उपखंड (ख) में दर्शाई गई तारीख से पूर्व फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो देय फीस में 20 प्रतिशत की वृध्दि की जायेगी ।

(घ) यदि निरीक्षण या अतिरिक्त निरीक्षण नहीं किया जाता है तो संदत्त फीस का समायोजन उस फीस के मद्दे किया जायेगा जो पश्चात्वर्ती वर्ष या अर्धवर्ष के लिये देय हो ।

3. यदि किसी नई संस्थापनाओं का उपयोग किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माहों के दौरान किया जाता हो तो संदत्त वार्षिक फीस के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उसका भुगतान उस वर्ष की,, जिसमें कि फीस का भुगतान किया गया है, अल्प कालावधि के तथा साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिये किया जा चुका है ।

4. यदि किसी संस्थापना का निरीक्षण किये जाने के पूर्व ही उसे असंयोजित (डिस्कनेक्ट) कर दिया गया हो या जिसे हटा दिया गया (डिसमिस्ड) हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं होगी ।

5. यदि कोई मोटर या अन्य साधित्र, जिसे 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिये, परीक्षण के तौर पर शक्ति

प्रयोजनों के लिये संस्थापित किया गया हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं होगी।

6. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये 'वर्ष' से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष।

7. ऊपर विहित की गई फीस ऊपर दर्शाई गई निरीक्षण की आवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नियतकालिक निरीक्षण के लिये देय होगी । प्रथम या प्रारंभिक निरीक्षण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस कालावधि के लिये जिसमें कि निरीक्षण किया गया हो, नियतकालिक निरीक्षण है, स्वामी की प्रार्थना पर किया गया या विद्युत अधिनियम, 2003 या उनके अधीन बनाये गये नियमों या सिनेमा आटोग्राफ रुल्स एण्ड रेगुलेशन्स के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का भंग होने के कारण किये गये प्रत्येक निरीक्षण के लिये विहित फीस की आधी प्रभारित की जायेगी ।

भाग–2: विवाद

यदि मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक को विद्युत अधिनियम, 2003 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या किसी करार के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मतभेद या विवाद को निपटाने के लिये आहूत किया जाये तो निम्नलिखित फीस देय होगी –

(क) निम्न दाब तथा मध्यम दाब उपभोक्ताओं के संबंध में .... रु0 250

(ख) उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में... रु0 1000

टिप्पण: किसी उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी मीटर के सही होने के बारे में हुए किसी मतभेद या विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत निरीक्षक उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्ता के परिसर में उपस्थित होने के लिये ठहराव करेगा । विद्युत निरीक्षक मीटर को अपने प्रभार में लेगा जिससे उसकी उपस्थिति में ही और केवल अनुज्ञप्तिधारी व्दारा ही सर्किट से संयोजित किया जायेगा ।

भाग–3: साधित्रों का परीक्षण

(1) मीटरों के परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के लिये निम्नानुसार फीस देय होगी –

अनु क0	परीक्षण / परीक्षण किये जाने वाले उपस्कर का नाम	देय फीस (रु0 प्रति मीटर/ प्रति परीक्षण.)
(1)	(2)	(3)
(क)	एम्मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फीक्वेंसी मीटर .	100
(ख)	इनर्जी मीटर–	200
	20 एम्पीयर तक के.	300
	20 एम्पीयर से अधिक..	
(ग)	इंसूलेशन टेस्टर –	300
	500 वोल्ट.	500
	500 वोल्ट से अधिक..	200
(घ)	आइल टेस्ट; डाय इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ, एसीडिटी.	
(ङ)	इंसूलेशन टेस्ट –	200
	निम्न तथा मध्य दाब.	500
	उच्च तथा अति उच्च दाब..	200
(च)	वोल्टेज टेस्टिंग.	300
(छ)	अर्थ टेस्टर	

टिप्पण :

1. यदि एक ही श्रेणी तथा विनिर्दिष्ट (स्पेसीफिकेशन) के दस या दस से अधिक मीटरों का एक ही बैच में परीक्षण किया जाना हो या एक निरंतर कालावधि में प्रति घंटे या आधे घंटे पर 10 या 10 से अधिक बार वोल्टेज का परीक्षण किया जाना हो तो देय फीस ऊपर दर्शाई गई फीस की आधी होगी ।

2 ऊपर के परीक्षण उपलब्ध सुविधाओं की सीमा तक किये जायेंगे ।

3 यदि विवाद के मामले में मीटर का परीक्षण करना आवश्यक समझा जाये, तो ऐसे परीक्षण के लिये फीस, विवाद फीस के अतिरिक्त होगी ।

4 ऊपर दर्शाये गये परीक्षणों से भिन्न परीक्षण के लिये जो आवश्यक समझा जाये, फीस ऐसी दर पर प्रभारित की जायेगी जिसे कि राज्य सरकार समय समय पर नियत करे ।.

5 किसी उपस्कर या नमूने के परीक्षण के लिये आवेदन संलग्न प्ररुप में किया जायेगा । उपस्कर तथा टर्मिनल अच्छी अवस्था में होगे । किसी भी सहायक उपस्कर को भी, जो परीक्षण के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जायेगा ।

6. देय फीस शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी और विद्युत निरीक्षक को चालान भेजा जायेगा ।

<u>विद्युत साधित्रों तथा अन्य परीक्षणों (टेस्ट्स) के परीक्षण करने के लिये आवेदन का प्ररुप</u>

प्रति,

विद्युत निरीक्षक

....

हम निम्नानुसार उपस्कर/ नमूना परीक्षण के लिये ब्यौरे भेज रहे हैं :–

1. उपस्कर का नाम,
2. उपस्कर के निर्माता का नाम,
3. उपस्कर का विनिर्माण कमांक ,
4. उपस्कर की क्षमता तथा वोल्टेज,
5. नमूने (सैम्पल) का ब्यौरा,
6. नमूना (सैम्पल) लेने की तारीख,
7. नमूना (सैम्पल) लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदाभिधान.

हम एतद्द्वारा यह करार करते हैं कि विद्युत निरीक्षक की अभिरक्षा में साधित्रों के रहते समय उनमें किसी भी कारण से हुए नुकसान या हानि के लिये मध्य प्रदेश सरकार या विद्युत निरीक्षक से कोई भी प्रतिकर नहीं मांगेगे।

स्थान:

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर:

नाम:

पदाभिधान

संगठन का नाम:

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय बंदोपाध्याय)
सचिव
म०प्र०शासन, ऊर्जा विभाग

भोपाल दिनांक 3 अप्रैल,2007

1. क्रमांकः एफ–05–06/ 2006/ तेरह : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरन में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 2007 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय बंदोपाध्याय)
सचिव
म0प्र0शासन, ऊर्जा विभाग

ENERGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated 3rd April 2007

No…F-05-06/2006/XIII. . In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 46 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of all the previous orders and notifications issued on the subject, the State Government hereby directs that the fees for testing and inspection and generally for the services of Electrical Inspectors to Government or their Assistants under the Indian Electricity Act 1910 (9 of 1910), shall be levied in accordance with the following scale of rates.

2. These rates shall come in force from the date 3rd April,2007.

Part-I INSPECTION OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

Class of Installation	Capacity	Fee in Rs. for each inspection.	Frequency of inspection.
1	2	3	4
A. The installations of the electricity supplier, consumer and producers.	(One) . Medium voltage installations of the consumer- 1. Agriculture pump. 2. Other installations upto 10 HP. 3. Exceeding 10 HP to 50 HP.	 10 50 100	For Agricul-ture pump installations of consumers: Once in 5 years. and for others: Once in a year.

1	2	3	4
	4. Exceeding 50 HP.	200	
	(Two) High and Extra High voltage installations (included Booster and capacitors Bank) and Power Station/ Generating Sets.		
	1. Upto 25 KW.	150	
	2. Exceeding 25 KW and upto 100 KW.	500	Once in a year.
	3. Exceeding 100 KW and upto 500 KW.	800	
	4. Exceeding 500 KW and upto 1000 KW.	2000	
	5. Exceeding 1000 KW and upto 5000 KW.	3000	
	6. Exceeding 5000 KW and upto 10000 KW	6000	
	7. Exceeding 10000 KW.	8000	
B. New HT or EHT Overhead Lines.	For each K.M. or part thereof.	200	
C. High voltage instalaltions under rule 71 to 73.	X-ray, Neon Sign etc.	500	Once in a year.
D. Cinemas or other place of public entertain-ment.	1. For cinema or theatre other than a travelling cinema or temporary place of public entertainment.	800	Once in a year.
	2. For travelling cinema or other temporary place of public entertainment	400	Twice in a year.
E. Overhead lines and service lines other than those not covered by item "B"	For each span.	20	
F .For lines crossing under rule 87.	For each crossing..	100	

1	2	3	4
G. New HV/ EHV cables other than Over head lines.	1. For first 100 meters or part thereof. 2. For each additional 100 meters or part thereof.	200 50	
H. Multistories buildings.	for each multistories buildings.	1000	Once in a year.
I. Lift installation.	For each lift installation.	1000	Once in a year.

Note: (1) For the purpose of inspection fees.

(a) Generators and transformers, which have been installed in the same enclosure or adjacent to each other and which normally run in parallel, will be treated as one installation and the inspection fees will be charged on their aggregate capacity. But the transformers and generators which normally do not run in parallel and which have not been installed adjacent to each other or in the same enclosure will be treated as separate installations.

(b) Equipment other than generators and transformers receiving electricity supply from the same bus and at the same voltage and which are installed in the same enclosure or adjacent to each other will be treated as one installation and inspection fees will be charged on their aggregate capacity. But equipment receiving electricity supply from different buses or at different voltages or which have not been installed adjacent to each other or in the same enclosure will be treated as separate installations.

(c) "Kilovolt amperes" or "BHP" or KVAR shall be read instead of "Kilowatts" wherever the machinery or equipment is so rated.

(d) Government's water works, sewage pumping stations are exempted from the levy of inspection fee.

3. Payment of Fees –

(a) The fees shall be paid by the owner or his agent into a Government Treasury under the head :

Revenue Head for installations except cinema , and	0043- Taxes and duties on electricity. 102- Fees under the Indian Electricity Rules.
Revenue Head for Cinemas.	0043-Taxes and duties on electricity. 103-Fees for the electrical inspection of cinemas.

and the treasury challan shall be sent to the Electrical Inspector to Government of Madhya Pradesh.

(b) The fees shall be paid before the dates shown below:

(1) For existing installations except those coming under category D-2 above, the fees shall be paid before 1st May in each year. The fees payable by the suppliers for their installations shall be paid within one month from the date of the receipt of the bill after the inspection.

(2) For installations coming under D-2 above, the fee for respective half year shall be paid before 1st May and 1st November. In case the installation is not in use on the above dates, the fees for each half year shall be paid before the installation is used.

(3) For new H.T. installation or new cinemas including additions or alterations, the fee shall be paid in advance and the treasury challan shall be sent to the Electrical Inspector along with the application for inspection and / or approval of such installations. The inspection fee of the new installations of the supplier shall be payable as per note 2(b)(1). The fee for such installations shall be 50 per cent more than the rate shown above.

(4) For other new installations including addition or alterations and seasonal factories, the fees shall be paid before the installations are brought into use.

(5) Fees payable for additional inspection under note 7 below shall be paid before the dates specified by the Electrical Inspector in each case.

(6) Fees under category E shall be levied only for each subsequent inspection necessiated due to breach of any of the provisions of the Electricity Act, 2003 or rules made thereunder, separate fee shall be payable for each service line tapped from the same pole.

(7) Fees under category F shall be payable in advance by the person requesting for the inspection.

(c) In case the fee is not paid before the dates shown in sub-clause (b), the fee payable shall be increased by twenty per cent.

(d) In case the inspection or additional inspection is not carried out, the fee paid shall be adjusted towards that payable for the subsequent year or half year.

4. If any new installation is brought into use during the last two months of the financial year, the annual fee paid shall be deemed to cover the short period of the year in which the fee is paid as well as the full period of the next financial year.

5. If any installation is disconnected or dismantled before an inspection is carried out no fee shall be charged.

6. In case of motors or other apparatus for power purposes installed on trial for a period not exceeding 15 days, no fee shall be charged.

7. 'Year' for the purpose of this notification means a financial year from 1st April to 31st March.

8. The fee prescribed above will be payable for each periodical inspection as per frequency of inspection shown above. The first or initial inspection will be deemed to be the periodical inspection for the period in which the inspection has been carried out. for each additional inspection carried out at the request of the owner or due to breach of any of the provisions of the Electricity Act, 2003 or Rules made thereunder or the Cinematography Rules and Regulations, one half of the fees prescribed will be charged.

Part II- DISPUTES

If the Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector is called upon to settle any difference or dispute arising under the Electricity Act, 2003 or the rules made thereunder or under any agreement, the following fee shall be payable.

(a) In respect of low and medium voltage consumers.. Rs. 250/-

(b) In respect of High and Extra High voltage consumers..Rs. 1000/-

Note: On receipt of application in connection with a difference or dispute between a consumer and licensee as to the correctness of any meter, the Electrical Inspector will arrange with the consumer and the licensee to attend at the premises of the consumer. The Electrical Inspector will take charge of the meter which is not to be disconnected from the circuit except in his presence and then only by the licensee.

Part III- Tests of Apparatus.

(I) For testing of meters and other testing, the fee payable shall be as follows-

S.No.	Name of the test/ equipment to be tested.	Fee payable (Rs. per meter/ per test)
1	2	3
(a)	Ammeter, Voltmeter, Watt Meter, Power Factor Meter Frequency Meter .	100

1	2	3
(b)	Energy Meter- Upto 20 Amps. Exceeding 20 Amps.	200 300
(c)	Insulation Tester- 500 Volts. Exceeding 500 Volts.	300 500
(d)	Oil Test-Di-electric Strength/ Acidity.	200
(e)	Insulation Test- Low and Medium Voltae High and extra High Voltage.	200 500
(f)	Voltage testing.	200
(g)	Earth Tester.	300

Note:

(1) In case 10 or more meters of the same range and specifications are to be tested if one batch or voltage is to be tested 10 times or more within a continuous period at every hour or half an hour, the fee payable shall be half of the fee shown above.

(2) The above tests will be carried out to the extent of the facilities available.

(3) If in case of dispute, the testing of meter is found necessary, a fee for such testing shall be in addition to the dispute fee.

(4) The fee for tests other than shown above and found necessary shall be charged at such rates as the State Government may fix from time to time.

(5) For testing of any equipment or sample an application shall be given as per attached form. The equipment and terminals shall be in healthy condition. Any auxiliary equipment necessary for the test shall also be produced.

(6) The fee payable shall be deposited in the Government Treasury and the challan sent to the Electrical Inspector.

THE FORM OF APPLICATION FOR TESTING OF ELECTRICAL APPARATUS AND OTHER TEST

To,

The Electrical Inspector,

....

We are submitting the equipment/ samples as per details below for testing –

1. Name of the equipment.
2. Name of the Manufacturer of the equipment.

3. Equipment's Manufacture number.
4. The capacity and voltage of the equipment.
5. Details of the samples.
6. Date of taking the sample.
7. Name and Designation of the person who has taken out the sample.

We hereby agree that we shall not claim from the Government of Madhya Pradesh or the Electrical Inspector any compensation for any damage to or loss of the apparatus due to any cause whatever during time to it remains in the custody of the Electrical Inspector.

Place.......................
date ....

....
(Signature of the applicant)
Name.
Designation.
Name of the Organisation.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

(Sanjay Bandopadhyaya)
Secretary,
Govt. of M.P. Energy Department.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.